

प्रेषक,

जी0एस0 नवीन कुमार,
अनु सचिव, सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

✓ प्रबन्ध निदेशक,
यूपीएलसी, लखनऊ।

P & S Div.

09.12.14
जी0एस0 प्रियदर्शी
आई0एस0

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1

लखनऊ: दिनांक 09 दिसम्बर, 2014

विषय: उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014 के अध्याय 3 के अन्तर्गत
निहित बिन्दुओं 3.6 तथा 3.7 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश और देश के समग्र आर्थिक विकास के लिए उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण उद्योग को प्रोत्साहित एवं विकसित कर उत्तर प्रदेश को एक वैश्विक प्रतिस्पर्धी, उद्योग मित्रवत इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण एवं व्यावसायिक वातावरण का निर्माण किये जाने तथा राज्य में इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना एवं राज्य में इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में निवेश एवं रोजगार के अवसर को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या-870/78-1-2014-87आई0टी0/2014, दिनांक 29 अगस्त, 2014 द्वारा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014 प्रख्यापित की गयी है, जिसके अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण क्षेत्र में प्रोत्साहन दिये जाने का संकल्प लिया गया है। इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014 के अध्याय-3 के अन्तर्गत प्रस्तर-3.6 तथा 3.7 में निम्न व्यवस्था की गई है:-

3.6 इलेक्ट्रानिक मिशन दल

राज्य में इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर तथा इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग उद्योग की सफल स्थापना के लिए, स्थायी मिशन निदेशक के नेतृत्व में एक समर्पित मिशन निदेशालय की स्थापना।

परियोजना का कार्य उसके पूर्ण कार्यान्वयन तक निदेशालय द्वारा सम्पादित कराया जायेगा और उसकी प्रगति समय समय पर अनुश्रवण समिति को अवगत करायी जायेगी।

सम्बन्धित प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सम्बन्धित जिलाधिकारी निवेशक को बिजली, पानी और भूमि इत्यादि सहित पूर्ण समेकित पैकेज उपलब्ध कराने हेतु निदेशालय को निकट सहयोग प्रदान करेंगे।

3.7 एकल खिड़की निस्तारण

नीति कार्यान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) नीति में प्रदत्त प्रोत्साहन की प्राप्ति हेतु निवेशक के दावों पर सुगम एवं प्रभावी कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स,

उत्तर प्रदेश सरकार के मार्गदर्शन में एकल खिड़की निस्तारण इकाई के रूप में निवेशकों के साथ घनिष्ठता से कार्य करेगी। इसके अतिरिक्त पी.आई.यू. प्रदूषण नियंत्रण, दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान अधिनियम, विद्युत आबंटन जैसी सांविधिक स्वीकृतियों की प्राप्ति में भी निवेशक को सहायता प्रदान करेगी।

नीति कार्यान्वयन इकाई अवरोधों के समयबद्ध रूप से निवारण (clearing roadblock) में भी उत्तरदायी होगा। यदि समय-सीमा के भीतर समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, तो मामला सशक्त समिति के समक्ष आ जायेगा।

2 अतः अनुरोध है कि कृपया उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014 के उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार कार्ययोजना/प्रस्ताव शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि तदनुसार उपरोक्त नीति का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। इस नीति के अनुपालन में यदि कोई वित्तीय उपाशय निहित हो तो, तदनुसार परीक्षण करके प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि आय-व्ययक में धनराशि की व्यवस्था कराई जा सके।

भवदीय,


(जी०एस० नवीन कुमार)
विशेष सचिव

संख्या-1265(1)/78-1-2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 2 प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3 प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र०।
- 4 कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5 निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ०प्र० शासन।

आज्ञा से,


(हरीराम)
अनु सचिव।